

आदेश.

Bering Seraghat-Pithoragah

राजस्व अनुभाग-2 उत्तराखण्ड शासन देहरादून के शासनादेश संख्या-1887/XVIII (II)/2015-18(169)/2015 दिनांक 30.07.2015 एवं वित्त (वे.आ.-सा.नि.) अनुभाग-7 के, शासनादेश संख्या-111/XXVIII(7)50(39)-15/2015 दिनांक 09.07.2015 में निहित प्राविधानों के आधार पर जनपद पिथौरागढ़, तहसील बंगापानी अन्तर्गत सेराघाट से बोंना मोटर मार्ग निर्माण में आ रही ग्राम जूँकोट के गैर ज.वि. खतौनी खाता संख्या-09 श्रेणी-9(3)ड बंजर काबिल आवाद के खेत नम्बर 37 रकबा 0.100 है, 38 रकबा 0.360 है, 388 रकबा 0.240 है, 390 रकबा 0.120 है, 474 रकबा 0.085 है, 475 रकबा 0.010 है, 477 रकबा 0.210 है, 478 रकबा 0.060 है, 480 रकबा 0.075 कुल 09 खेतों की 1.260 है तथा ग्राम-मोहन के गैर ज.वि. खतौनी खाता संख्या-34 श्रेणी-9(3)ड बंजर काबिल आवाद के खेत नम्बर 7399 रकबा 1.400 है, 7567 रकबा 0.060 है, 7569 रकबा 0.050 है, 7571 रकबा 0.510 है, 7584 रकबा 0.320 है, 7586 रकबा 0.280 है, 7588 रकबा 0.800 है कुल 07 खेतों की 3.420 है इस प्रकार उक्त दो ग्रामों के कुल 16 खेतों की 4.680 है राज्य भूमि को वित्त अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-260/ वित्त अनुभाग-3/2002 दिनांक 15.02.2002 के प्राविधानों तथा लोक निर्माण अनुभाग-2 के प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 31.03.2011 के क्रम में निम्नलिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड शासन को निःशुल्क हस्तान्तरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1. भूमि पर कोई धार्मिक अथवा ऐतिहासिक महत्व की इमारत न हो।
2. जिस परियोजना के लिए भूमि हस्तान्तरित की जा रही है वह एक अनुमोदित परियोजना हो और उसके लिए शासन से सहमति प्राप्त हो चुकी है।
3. हस्तान्तरित भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से गिन्ना प्रयोजन के लिए उपयोग की जाये तो उसके लिए मूल विभाग से पुनः अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
4. यदि भूमि की आवश्यकता न हो या 03 वर्षों तक हस्तान्तरित भूमि प्रस्तावित कार्य के लिए उपयोग में नहीं लायी जाती है तो वह मूल विभाग में स्वतः ही निहित हो जायेगी।
5. जिस प्रयोजन हेतु भूमि हस्तान्तरित की जा रही है उससे गिन्ना किसी अन्य प्रयोजन हेतु किसी अन्य व्यक्ति, संस्था, समिति अथवा विभाग आदि को मूल विभाग की सहमति के बिना हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।
6. जिस प्रयोजन हेतु भूमि आवंटित की जा रही है उसकी पूर्ति के उपरान्त यदि भूमि अवशेष पड़ी रहती है, तो मूल विभाग को उसे वापस लेने का अधिकार होगा।
7. प्रश्नगत भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम-1980 के प्राविधान लागू होने की दशा में भूमि के उपयोग का परिवर्तन गैर वानिकी कार्य हेतु तभी अनुमनय होगा जब उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी।
8. प्रश्नगत गैर ज.वि. भूमि आवंटन के पूर्व जमींदारी गिनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा-132 के समक्ष एवं अन्य सुसंगत प्राविधानों का अनुपालन उप जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
9. इस संबंध में सिविल अपील संख्या-1132/2011(एस.एल.पी.)/सी संख्या-3109/ 2011 श्री जगपाल सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य तथा सिविल अपील संख्या-436/2011@SLP (C) NO.20203/2007 झारखण्ड राज्य व अन्य बनाम पाकुर जागरण मंच व अन्य में मा10 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक जनवरी 2011 एवं अन्य संगत निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
10. आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तों के विन्दु संख्या-01 से 09 में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

अतः उक्तनुसार स्वीकृत भूमि का सीमांकन कर याचक विभाग के नाम हस्तान्तरण एवं नामान्तरण की कार्यवाही शीघ्र सुनिश्चित की जाय।  
दिनांक सितम्बर 07, 2015

जिलाधिकारी,  
पिथौरागढ़।

कार्यालय जिलाधिकारी पिथौरागढ़।

संख्या-1709 / सात-97 / 2014-15

दिनांक सितम्बर 08 2015

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित-

1. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
2. अधिसारी अभियन्ता, प्रांतीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग सीडीहाट।
3. उप जिलाधिकारी धारचूला।
4. तहसीलदार बंगापानी को इस आशय से प्रेषित कि प्रत्यक्त भूमि का सीमांकन प्रस्तावक विभाग के नाम हस्तान्तरण एवं नामान्तरण उपरान्त अनुपालन आख्या कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, यस्पर की प्रति सलग्न कर प्रेषित जा रही है।

जिलाधिकारी  
पिथौरागढ़।

16/9/15

22/9/15

करीन / 500 (m)

22/9/15

23/9/15